पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 का आपराधिक विविध वाद सं. 51234

थाना मामला संख्या-4049 वर्ष-2023 थाना- पटना शिकायत मामला जिला- पटना, से उत्पन्न

==========

चंद्र प्रकाश, पुत्र- स्वर्गीय सुखदेव प्रसाद साह, निवासी आर.के. पुरम, खगौल रोड, सगुना मोड़, हाई-टेक अस्पताल के पीछे दानापुर, पटना- 801503

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य

2. श्रीमती लीना शर्मा, पत्नी- स्वर्गीय अरविंद कुमार शर्मा, निवासी - सी/ओ सुमन शर्मा, मकान संख्या डी/45, बिरला कॉलोनी, थाना- फुलवारीशरीफ, जिला- पटना।

..... विपक्षी पक्ष/ओं

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री राणा विक्रम सिंह, अधिवक्ता
		श्री संजीव कुमार, अधिवक्ता
		श्री प्रवाशंकर मिश्रा, अधिवक्ता
		सुश्री ज्योति सिंह, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री नंद किशोर प्रसाद, एपीपी
ओ.पी. सं. की ओर से	:	श्री सुनील कुमार, अधिवक्ता
		श्री बिनोद कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
		श्री अजय कुमार प्रसाद, अधिवक्ता

==========

अधिनियम/धाराएं/नियम:

- *भारतीय दंड संहिता की धाराएं 415, 420*

- *कंपनी अधिनियम, 1956*

संदर्भित मामले:

- *हृदय रंजन प्रसाद बनाम बिहार राज्य [(2000) 4 एससीसी 168];*
- *एस.डब्ल्यू. पलनीटकर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य [(2002) 1 एससीसी 241];*
- *उषा चक्रवर्ती एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य [2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 90];*
- *आर. कल्याणी बनाम जनक सी. मेहता एवं अन्य [2009 (1) एससीसी 516]*
- *सुशील सेठी एवं अन्य बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य (2020) 3 एससीसी 240 में रिपोर्ट किया गया*
- *प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2015 (6) एससीसी 287 में रिपोर्ट किया गया*

याचिका – यह याचिका उस आदेश को रद्द करने हेतु दायर की गई है, जिसके तहत माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है।

निर्णय – प्रस्तुत तर्कों का सार यह है कि पक्षकारों के बीच विवाद एक संविदात्मक दायित्व के अंतर्गत है, जो एक दीवानी प्रकृति का विवाद है और जिसका समाधान दीवानी न्यायालय में उपलब्ध है, जिसे प्रतिवादी पहले से ही अपना रहे हैं। विवादित आदेश से यह स्पष्ट है कि संज्ञान केवल इस याचिकाकर्ता के विरुद्ध लिया गया है, उस कंपनी के विरुद्ध नहीं जिससे भुगतान संबंधित था।

साथ ही, यह भी प्रतीत होता है कि संबंधित शिकायत उस प्रकार के शपथ-पत्र से समर्थित नहीं है, जैसा कि प्रियंका श्रीवास्तव बनाम राज्य मामले में निर्धारित किया गया है , ताकि विद्वान मजिस्ट्रेट की अधिकारिता प्रभावी ढंग से लागू की जा सके। (पैरा 30)

न्यायालय ने यह भी पाया कि ट्रायल कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मात्र है, जिसमें एक प्रारंभिक दीवानी विवाद को आपराधिक रंग देकर प्रस्तुत किया गया है। (पैरा 31)

याचिका स्वीकार की जाती है। (पैरा 32)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

सी.ए.वी.निर्णय

दिनांक : 28-03-2025

याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता राणा विक्रम सिंह और शिकायतकर्ता/विपरीत पक्ष संख्या के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना गया।

2. वर्तमान याचिका शिकायत मामला संख्या 4049(सी)/2023 के संबंध में पारित दिनांक 31.08.2023 के आदेश को रद्द करने के लिए पेश की गई है, जिसके तहत विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना ने दिनांक 31.08.2023 के आदेश के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध का संज्ञान लिया है और याचिकाकर्ता के खिलाफ समन जारी किया है।

3. शिकायत का मामला संक्षेप में यह है कि शिकायतकर्ता ने 03.02.2020 को 'सुनीत एम्ब्रोसिया प्रोजेक्ट' में 3 फ्लैट और कार पार्किंग स्थल की बुकिंग के लिए बिक्री के लिए एक समझौता किया, जो कि मेसर्स सुनीत हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड की हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है (जिसे आगे "कंपनी" के रूप में संदर्भित किया गया है) कुल विचार राशि रु. 29.25,000/- रु. 27,75,000/- और रु. 27,37,500/- कुल रु. 88,59,375/- के लिए है, जिसका भुगतान 2020 में किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि

उसके पति की मृत्यु के कारण वह शेष राशि नहीं चुका सकी। शिकायतकर्ता का पति और आरोपी/याचिकाकर्ता एक दूसरे को जानते थे। आरोपी याचिकाकर्ता ने भुगतान के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी और शिकायतकर्ता के पति की मृत्यु का फायदा उठाते हुए फ्लैट सौंपने से इनकार कर दिया। यह भी आरोप लगाया गया है कि दो साल बीत जाने और कुल विचार राशि का 40% भुगतान करने के बावजूद, शिकायतकर्ता/विपरीत पक्ष संख्या 2 को कब्ज़ा नहीं सौंपा गया। यहां तक कि कानूनी नोटिस भी परिणाम नहीं ला सका और पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। शिकायतकर्ता ने कुल 53,41,000 रुपये का भुगतान किया है।

4. उपरोक्त शिकायत के अनुसरण में, शिकायतकर्ता की गंभीर पुष्टि पर जांच की गई, जिसमें उसने शिकायत याचिका में किए गए कथनों का समर्थन किया है। गवाहों ने 15.05.2023 और 29.05.2023 को विद्वान न्यायालय के समक्ष गवाही भी दी है। परिणामस्वरूप, दिनांक 31.08.2023 के आदेश के तहत, विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना ने भा.दं.सं. की धारा 420 के तहत अपराधों का संज्ञान लिया है और आरोपी/याचिकाकर्ता के खिलाफ समन जारी किया है।

5. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री राणा विक्रम सिंह ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 27.01.2020 को विचाराधीन फ्लैट बुक किए गए हैं और प्रत्येक फ्लैट के लिए अपने पति स्वर्गीय अरविंद कुमार शर्मा द्वारा बुकिंग राशि रु. 2,00,000/- यानी रु. 6,00,000/- का भुगतान किया गया है जे एंड के बैंक, सेक्टर 18, नोएडा (यूपी) पर दिनांक 27.10.2020 को चेक संख्या 731693 के माध्यम से दिया गया, जिसके बाद शिकायतकर्ता और कंपनी के बीच 03.02.2020 को "सुनीत एम्ब्रोसिया" के नाम और शैली के तहत प्रस्तावित भवन के लिए तीन फ्लैटों के लिए बिक्री के लिए तीन अलग-अलग गैर-पंजीकृत समझौते (1000/- रुपये के

स्टाम्प पेपर पर) निष्पादित किए गए थे। बाद में, जुलाई, 2020 के महीने में, शिकायतकर्ता के पति से कंपनी द्वारा 20,00,000/- रुपये भी प्राप्त किए गए, जिससे कुल प्राप्त राशि 26,00,000/- रुपये हो गई। शिकायत से यह प्रतीत होता है कि 16.07.2020 को फ्लैट संख्या 101, 102 और 213 में से प्रत्येक के लिए कुल 27,00,000/- रुपये कंपनी के खाते में स्थानांतरित किए गए थे और इसके अलावा 20,00,000/- रुपये का हस्तांतरण भी किया गया था, जिससे याचिकाकर्ता को कुल 53,41,000/- रुपये का हस्तांतरण हुआ। शिकायतकर्ता और उसके पति द्वारा भुगतान की गई राशि पर याचिकाकर्ता द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया था।

6. श्री सिंह द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि 21.10.2021 को, परियोजना 'सुनीत एम्ब्रोसिया, दानापुर, पटना' में शिकायतकर्ता की बुकिंग फ्लैट संख्या 101, 102 और 213 के विरुद्ध बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कंपनी द्वारा एक सूचना पत्र जारी किया गया है, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। 22.11.2021 को एक और सूचना दी गई कि अगले 15 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान किया जाए, ऐसा न करने पर उक्त परियोजना में फ्लैट की बुकिंग रद्द की जा सकती है। तत्पश्चात, दिनांक 26.12.2021 को शिकायतकर्ता को नोटिस के माध्यम से अंतिम अनुस्मारक भी जारी किया गया, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि आगे कोई भी विफलता शिकायतकर्ता की परियोजना, सुनीत एम्ब्रोसिया, दानापुर, पटना में फ्लैट संख्या 101, 102 और 213 की बुकिंग को रद्द करने का कारण बन सकती है, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा कोई शेष भुगतान नहीं किया गया और उसके बाद, दिनांक 27.01.2022 को शिकायतकर्ता की फ्लैट संख्या 101, 102 और 213 की बुकिंग को रद्द करने की सूचना के संबंध में अंतिम नोटिस इस शर्त के साथ दिया गया कि यदि शिकायतकर्ता 15.02.2022 तक बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो

फ्लैटों की बुकिंग रद्द कर दी जाएगी। तत्पश्चात, अंततः दिनांक 22.02.2022 को शिकायतकर्ता को फ्लैटों की बुकिंग रद्द करने की सूचना दी गई।

7. श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि अचानक, शिकायतकर्ता के पिता साइट पर आए और फ्लैट नंबर 101, 102 और 213 की बुकिंग की स्थिति के बारे में पूछताछ की और, तदनुसार, उन्हें यह भी बताया गया कि बुकिंग पहले ही रद्द कर दी गई है। आश्चर्यजनक रूप से, उसके पिता द्वारा निरीक्षण के बाद, 09.12.2022 को, कंपनी को शिकायतकर्ता से उसके फ्लैटों के बारे में पूछताछ करने वाला ई-मेल प्राप्त हुआ, जिसका जवाब कंपनी द्वारा 13.12.2022 को शिकायतकर्ता के ई-मेल पर दिया गया और जमा की गई राशि को दस (10) दिनों के भीतर वापस करने के लिए खाते का विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया और, अंततः, कंपनी ने 14.12.2022 से शिकायतकर्ता के पिता द्वारा प्रदान किए गए खाते में धन वापस करना शुरू कर दिया, जहां तीन लेनदेन के माध्यम से, प्रत्येक 2 लाख रुपये कुल 6 लाख रुपये और 26.12.2022 को रुपये के दो लेनदेन। प्रत्येक को 7 लाख रुपये और 6 लाख रुपये में से एक कुल 26,00,000 रुपये शिकायतकर्ता को वापस कर दिए गए, जिसके लिए शिकायतकर्ता को ई-मेल के माध्यम से सूचना दी गई।

8. श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि 04.01.2023 को, अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना और चर्चा के, शिकायतकर्ता ने कंपनी के खाते में 26,00,000 रुपये जमा किए और उसी खाते में 20,00,000 रुपये और जमा किए।

9. श्री सिंह ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता के फ्लैटों की बुकिंग इन लेन-देन से बहुत पहले ही रद्द कर दी गई थी और उसके बाद, डेवलपर कंपनी ने इसे किसी अन्य आवंटी को बेच दिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि शिकायतकर्ता द्वारा बुक किया गया फ्लैट रद्द किए जाने के बाद किसी अन्य आवंटी को बेचा जा चुका है,

इसलिए शिकायतकर्ता के पक्ष में इसे फिर से आवंटित करना लगभग असंभव है और याचिकाकर्ता पर दबाव बनाने के लिए, बिना किसी अवसर के वर्तमान आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है।

10. विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि जब बुकिंग राशि वापस कर दी गई थी और समझौता रद्द कर दिया गया था, इसलिए, बिना किसी और चर्चा या विस्तार के याचिकाकर्ता के बैंक खाते में उक्त राशि को फिर से जमा करने का कोई अवसर नहीं था।

11. श्री सिंह ने आगे तर्क देते हुए कहा कि फ्लैटों के कब्जे के लिए, शिकायतकर्ता पहले ही विद्वान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (संक्षेप में 'रेरा'), पटना, बिहार के न्यायालय के समक्ष मामला संख्या रेरा/CC/114/2023 के रूप में स्थानांतरित हो चुका है, जिसे दिनांक 06.5.2024 के आदेश के अनुसार योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि रेरा के समक्ष, शिकायतकर्ता ने विभिन्न पत्राचारों और उसे दी गई राशि की वापसी के तथ्यों को छिपाया। यह बताया गया है कि कंपनी या याचिकाकर्ता की ओर से कोई दोष नहीं है, बल्कि यह स्वयं शिकायतकर्ता की ओर से दोष है, जिसे अब वह वर्तमान आपराधिक शिकायत मामला दर्ज करके अनुचित दबाव बनाकर छिपाना चाहती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता किसी भी समय कंपनी द्वारा प्राप्त राशि को उचित ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को वापस करने के लिए तैयार है।

12. तर्क को सारांशित करते हुए, श्री सिंह द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में कोई भी कानूनी तत्व उपलब्ध नहीं है, जिससे विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध के लिए संज्ञान लिया जा सके, क्योंकि शिकायत याचिका से ही यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता

और याचिकाकर्ता की कंपनी ने वादे के शुरू से ही धोखाधड़ी या बेईमानी के इरादे से काम नहीं किया था। यह शिकायतकर्ता की ओर से अनुबंध के उल्लंघन का मामला है, जिसके लिए अन्य कानूनी उपाय उपलब्ध हैं, जिसका शिकायतकर्ता लाभ उठा रहा है और इसलिए शिकायतकर्ता ने RERA द्वारा उसके मामले को खारिज करने के आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

13. अपने निवेदन के समर्थन में, श्री सिंह ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया, जो **हृदय रंजन प्रसाद बनाम बिहार राज्य [(2000) 4 एससीसी 168]; एस.डब्ल्यू. पलनीटकर और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य [(2002) 1 एससीसी 241]; उषा चक्रवर्ती और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य [2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 90]; और आर. कल्याणी बनाम जनक सी. मेहता और अन्य [2009 (1) एससीसी 516]** के माध्यम से उपलब्ध है।

14. श्री सिंह ने आगे बताया कि चूंकि शिकायतकर्ता के पास सिविल उपचार उपलब्ध है, इसलिए, वर्तमान आपराधिक शिकायत दर्ज करना कोई अवसर नहीं था और इसे केवल इसी आधार पर खारिज किया जाना चाहिए। इस दलील के समर्थन में, श्री सिंह ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया, जो **सुशील सेठी और अन्य बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य और अन्य** के माध्यम से उपलब्ध है। **(2020) 3 एससीसी 240** में रिपोर्ट की गई।

15. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान याचिका मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए विपरीत पक्ष संख्या 2 के हलफनामे द्वारा समर्थित नहीं है और इसलिए, केवल इस आधार पर निहित संज्ञान आदेश कानून की नजर में खराब है और अपनी दलील के समर्थन में, श्री सिंह ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी

रिपोर्ट पर भरोसा किया, जो **प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2015 (6) एससीसी 287** में रिपोर्ट की गई है ।

16. एक अन्य तर्क, जो श्री राणा विक्रम सिंह द्वारा उठाया गया था, कि यह आरोपित संज्ञान आदेश से सुरक्षित रूप से समझा जा सकता है कि संज्ञान केवल याचिकाकर्ता के खिलाफ लिया गया था, न कि कंपनी यानी मेसर्स सुनीत हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ, जहां याचिकाकर्ता प्रबंध निदेशक की क्षमता में काम कर रहा था। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस आधार पर भी संज्ञान आदेश कानून की नजर में खराब है।

17. उपर्युक्त के मद्देनजर, यह प्रार्थना की जाती है कि न्यायालय के समक्ष वर्तमान आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करना है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

18. श्री सुनील कुमार, शिकायतकर्ता/ ओ.पी. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सं. 2 ने प्रस्तुत किया कि वास्तविक कठिनाई के कारण ओ.पी. सं. 2 के पति की 22.05.2021 को कोविड-19 के कारण दिल्ली में मृत्यु हो गई थी, वह शेष राशि का भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन अब वह याचिकाकर्ता को तीन फ्लैटों की उपरोक्त बुकिंग के लिए शेष राशि का भुगतान करने को तैयार है, जिसके लिए उसने पहले ही 53,41,000/- रुपये की राशि का भुगतान कर दिया था।

19. शिकायतकर्ता/ओ.पी. सं. 2 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ओ.पी. सं. 2 के पति अर्थात् स्वर्गीय अरविंद कुमार शर्मा और याचिकाकर्ता का मेसर्स मानवी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम और शैली में 14.10.2023 से एक संयुक्त उद्यम था, जहां वर्तमान याचिकाकर्ता निदेशकों में से एक था, जो बताता है कि दोनों पक्ष अच्छे संबंध में थे और वे पहले से एक-दूसरे को जानते थे। यह बताया गया है कि जब

याचिकाकर्ता कब्जा सौंपने में विफल रहा, तो याचिकाकर्ता को दिनांक 15.12.2022 का कानूनी नोटिस भेजा गया। वास्तव में, ओ.पी. नंबर 2 को कभी भी शेष राशि के भुगतान के संबंध में कोई सूचना पत्र नहीं मिला, जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है, और 'सुनीत एम्ब्रोसिया प्रोजेक्ट' में फ्लैट नंबर 101, 102 और 213 की बुकिंग के संबंध में समझौते को रद्द करने के लिए भी, और वर्तमान याचिका के साथ जो नोटिस संलग्न है, वह केवल समझौते की शर्तों का उल्लंघन करते हुए हेरफेर किए गए दस्तावेज हैं।

20. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि शिकायतकर्ता/ओ.पी. नंबर 2 का मामला रेरा द्वारा दिनांक 06.05.2024 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की, जो न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है। यह भी बताया गया है कि शिकायतकर्ता/ओ.पी. नंबर 2 ने याचिकाकर्ता को उसकी बकाया राशि के भुगतान के लिए 08.12.2022, 09.12.2022, 28.12.2022 और 15.02.2023 को ई-मेल के माध्यम से सूचित किया, लेकिन याचिकाकर्ता या कंपनी द्वारा उसे कभी भी जवाब नहीं दिया गया।

21. यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त विचाराधीन फ्लैटों को दुर्भावनापूर्ण इरादे के कारण अजनबियों को बेच दिया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता के पास कई खाली फ्लैट जैसे फ्लैट नंबर 111, 112, 313, 411, 412, 703 और 704 उपलब्ध थे, जिनमें से किसी भी तीन फ्लैटों को विपक्षी पार्टी नंबर 2 को सौंपा जा सकता है ताकि उसे अपूरणीय क्षति और मानसिक पीड़ा से पीड़ित होने से बचाया जा सके। यह प्रस्तुत किया गया है कि एक बार समझौता इस आधार पर किया गया है कि शेष बिक्री मूल्य का भुगतान नहीं किया गया था, इसे अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि विपक्षी

पार्टी नंबर 2 ने याचिकाकर्ता को तीन फ्लैटों के पूर्वोक्त आवंटन के विरुद्ध पहले ही बड़ी राशि का भुगतान कर दिया है और केवल आंशिक राशि का भुगतान न करने के आधार पर, जहां ऐसी कोई मांग नहीं उठाई गई थी, आवंटन को रद्द करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

22. यहां भारतीय दंड संहिता की धारा 415 और 420 के प्रावधानों को पुन: प्रस्तुत करना समीचीन होगा, जो वर्तमान मामले में शामिल कानून हैं, जो इस प्रकार हैं:

> **"415. छल** - जो कोई किसी व्यक्ति को धोखा देकर, छलपूर्वक या बेईमानी से उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करता है, या किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति को रखने के लिए सहमति देता है, या जानबूझकर उस व्यक्ति को ऐसा कुछ करने या न करने के लिए प्रेरित करता है जो वह नहीं करता या न करने देता यदि उसे इस प्रकार धोखा न दिया गया होता, और जो कार्य या चूक उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान या हानि पहुंचाती है या पहुंचाने की संभावना है, उसे "धोखा" कहा जाता है। स्पष्टीकरण - तथ्यों को बेईमानी से छिपाना इस धारा के अर्थ में छल है।
>
> **420. धोखाधड़ी करना और बेईमानी से संपत्ति का वितरण करना-** जो कोई भी धोखा देता है और इस प्रकार बेईमानी से धोखा दिए गए व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति या किसी भी चीज़ के पूरे या किसी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, जो हस्ताक्षरित या सीलबंद है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने में सक्षम है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात साल तक हो सकती है, और जुर्माना भी देना होगा।"

23. **प्रियंका श्रीवास्तव मामले (उपरोक्त)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट के पैरा **30 और 31** को पुन: प्रस्तुत करना प्रासंगिक है, जो एक त्वरित संदर्भ के लिए नीचे हैं:

"**30**. हमारी सुविचारित राय में, इस देश में एक चरण आ गया है जहां धारा 156 (3) दं.प्र.सं. के आवेदनों को मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले आवेदक द्वारा विधिवत शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया जाना है। इसके अलावा, किसी उचित मामले में, विद्वान मजिस्ट्रेट को सत्य की पुष्टि करने की सलाह दी जाएगी और वह आरोपों की सत्यता की भी पुष्टि कर सकता है। यह हलफनामा आवेदक को अधिक जिम्मेदार बना सकता है। हम ऐसा कहने के लिए बाध्य हैं क्योंकि इस तरह के आवेदन नियमित रूप से बिना किसी जिम्मेदारी के केवल कुछ व्यक्तियों को परेशान करने के लिए दायर किए जा रहे हैं। इसके अलावा, यह तब और अधिक परेशान करने वाला और चिंताजनक हो जाता है जब कोई ऐसे लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है जो किसी वैधानिक प्रावधान के तहत आदेश पारित कर रहे हैं जिसे उक्त अधिनियम के ढांचे के तहत या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है। लेकिन किसी आपराधिक अदालत में अनुचित लाभ उठाने के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता है जैसे कि कोई व्यक्ति हिसाब चुकता करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो।

31. हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि धारा 156(3) के तहत याचिका दायर करते समय धारा 154(1) और 154(3) के तहत पहले से आवेदन होना चाहिए। आवेदन में दोनों पहलुओं का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए और इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए। धारा 156(3) के तहत आवेदन को हलफनामे द्वारा समर्थित करने का निर्देश देने के लिए वारंट ताकि आवेदन करने वाला व्यक्ति सचेत रहे और यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करे कि कोई झूठा हलफनामा न बनाया जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार हलफनामा झूठा पाया जाता है तो वह कानून के अनुसार अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा। यह उसे धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकार का आकस्मिक रूप से आह्वान करने से रोकेगा। इसके अलावा, हम पहले ही कह चुके हैं कि मामले के आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा भी इसकी सत्यता की पुष्टि की जा सकती है। हम ऐसा कहने के लिए बाध्य हैं क्योंकि वित्तीय क्षेत्र, वैवाहिक विवाद/पारिवारिक विवाद, वाणिज्यिक अपराध, चिकित्सा लापरवाही के मामले, भ्रष्टाचार के मामले और ऐसे मामले जहां आपराधिक अभियोजन शुरू करने में असामान्य देरी/आलस्य है, जैसा कि ललिता कुमारी में दर्शाया गया

है, से संबंधित कई मामले दायर किए जा रहे हैं। इसके अलावा, विद्वान मजिस्ट्रेट को भी एफआईआर दर्ज करने में देरी के बारे में पता होगा।"

24. **सुशील सेठी मामले (उपरोक्त)** के पैरा 7.1, 7.2, 7.5, 8.1 और 8.2 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

"7.1. **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, [1992 सप (1) एस.सी.सी. 335],** पैरा 102 में, इस न्यायालय ने मामलों को उदाहरण के तौर पर वर्गीकृत किया है, जिसमें अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों या धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। पैरा 102 में, यह देखा गया है और निम्नानुसार माना गया है:-

> **"102.** अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या धारा 482 के तहत निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की श्रृंखला में प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनः प्रस्तुत किया है, हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलाइज्ड और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है और ऐसे असंख्य प्रकार के मामलों की विस्तृत सूची देना संभव नहीं है, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।
>
> (1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता या अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप और एफआईआर के साथ दी गई अन्य सामग्री, यदि कोई हो, किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती, तो धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है।

(3) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध हैं, वहां पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच की अनुमति नहीं है, जैसा कि संहिता की धारा 155(2) के तहत परिकल्पित है।

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि उनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संबंधित संहिता या अधिनियम के किसी प्रावधान में (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है और/या जहां संबंधित संहिता या अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना हो और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की गई हो।"

7.2. वेसा होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम केरल राज्य [(2015) 8 एससीसी 293] में इस न्यायालय ने यह देखा और माना है कि अनुबंध का हर उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देगा और केवल उन मामलों में अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के बराबर होगा जहां शुरू में ही कोई धोखा

हुआ हो। यह भी देखा और माना गया है कि धोखाधड़ी का अपराध बनाने के उद्देश्य से, शिकायतकर्ता को यह दिखाना आवश्यक है कि वादा या प्रतिनिधित्व करते समय अभियुक्त का धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा था। यह भी देखा और माना गया है कि ऐसे मामले में भी जहां अभियुक्त की ओर से अपने वादे को पूरा करने में विफलता के संबंध में आरोप लगाए गए हैं वादा करते समय किसी दोषपूर्ण इरादे के अभाव में, धारा 420 भा.दं.सं. के तहत कोई अपराध नहीं माना जा सकता है। यह भी देखा गया है कि वास्तविक परीक्षण यह है कि शिकायत में लगाए गए आरोप धोखाधड़ी के आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं या नहीं।

XXX XXX XXX

7.5. शरद कुमार सांघी बनाम संगीता राणे, [(2015) 12 एससीसी 781] में, इस न्यायालय के पास कंपनी के प्रबंध निदेशक या किसी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने पर विचार करने का अवसर था, जहां कंपनी को शिकायत में पक्षकार के रूप में नहीं रखा गया था। उपर्युक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया है कि प्रबंध निदेशक के खिलाफ प्रतिनिधिक दायित्व के विशिष्ट आरोप की अनुपस्थिति में, कंपनी को पक्षकार के रूप में नहीं रखे जाने की अनुपस्थिति में, ऐसे प्रबंध निदेशक या कंपनी के किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। यह भी देखा गया है कि जब शिकायतकर्ता किसी प्रबंध निदेशक या कंपनी के किसी अधिकारी को फंसाने का इरादा रखता है, तो प्रतिनिधि दायित्व का गठन करने के लिए अपेक्षित आरोप लगाना आवश्यक है।

XXX XXX XXX

8.1. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ताओं के खिलाफ धारा 420 के साथ धारा 120-बी भा.दं.सं. के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है। हालांकि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि एफआईआर और/या यहां तक कि आरोप पत्र में कोई विशेष आरोप और कथन नहीं है कि आरोपी का धोखाधड़ी और बेईमान इरादा लेनदेन की शुरुआत से ही था। यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि मेसर्स एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड और सरकार के बीच अनुबंध तीन बिजली उत्पादन इकाइयों सहित नूरंग हाइडल पावर प्रोजेक्ट की आपूर्ति और कमीशनिंग के लिए था। अपीलकर्ताओं ने परियोजना के लिए टर्बाइन दूसरे

निर्माता से खरीदे। कंपनी ने उक्त टर्बाइन का इस्तेमाल बिजली परियोजना में किया। यह अनुबंध वर्ष 1993 में हुआ था। उसके बाद वर्ष 1996 में परियोजना चालू हुई। वर्ष 1997 में विद्युत विभाग ने परियोजना के निष्पादन पर संतुष्टि प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण पत्र जारी किया। यहां तक कि दोष दायित्व अवधि भी जनवरी 1998 में समाप्त हो गई। वर्ष 2000 में तीन टर्बाइनों के संबंध में कुछ दोष पाया गया। तुरंत टर्बाइनों को बदल दिया गया। विद्युत परियोजना ने 1996 से ही काम करना शुरू कर दिया। यदि कंपनी/अपीलकर्ताओं का इरादा अरुणाचल प्रदेश सरकार को धोखा देने का था, तो वे दोषपूर्ण पाए गए टर्बाइनों को नहीं बदलते। किसी भी मामले में, शिकायत में कोई विशेष आरोप या कथन नहीं है कि अनुबंध में प्रवेश करते समय आरोपी का धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा था। इसलिए, उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 420 भा.दं.सं. के तहत अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं बनता है।

XXX XXX XXX

8.2. यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि मुख्य आरोप कंपनी के खिलाफ कहे जा सकते हैं। कंपनी को पक्ष नहीं बनाया गया है। आरोप क्रमशः कंपनी के प्रबंध निदेशक और निदेशक तक सीमित हैं। प्रबंध निदेशक या यहां तक कि निदेशक के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं हैं। प्रतिनिधि दायित्व का गठन करने के लिए कोई आरोप नहीं हैं। **मकसूद सैय्यद बनाम गुजरात राज्य [मकसूद सैय्यद बनाम गुजरात राज्य, (2008) 5 एससीसी 668: (2008) 2 एससीसी (सीआरआइ) 692)** में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया है और माना गया है कि दंड संहिता में कंपनी के प्रबंध निदेशक या निदेशकों की ओर से प्रतिनिधि दायित्व संलग्न करने का कोई प्रावधान नहीं है, जब अभियुक्त कंपनी है। यह आगे देखा गया है और माना गया है कि प्रबंध निदेशक और निदेशक की प्रतिनिधि देयता उत्पन्न होगी, बशर्ते कि क़ानून में उस संबंध में कोई प्रावधान मौजूद हो। यह आगे देखा गया है कि क़ानून में निर्विवाद रूप से ऐसे प्रतिनिधि दायित्वों को तय करने का प्रावधान होना चाहिए। यह भी देखा गया है कि उक्त उद्देश्य के लिए भी, शिकायतकर्ता की ओर से अपेक्षित आरोप लगाना अनिवार्य है, जो प्रतिरूपी दायित्व के प्रावधानों को आकर्षित करेगा। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं के खिलाफ ऐसे कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं, जो क्रमशः कंपनी के प्रबंध

निदेशक या निदेशक हैं। परिस्थितियों के तहत भी, आरोपित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और अलग रखने की आवश्यकता है।

25. **उषा चक्रवर्ती मामले (उपरोक्त)** के पैरा 6, 7, 8 और 10 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

"6. **परमजीत बत्रा बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य** में, इस न्यायालय ने माना:-

12. उच्च न्यायालय को संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय सतर्क रहना चाहिए। इस शक्ति का उपयोग संयम से और केवल किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। शिकायत में आपराधिक अपराध का खुलासा होता है या नहीं, यह उसमें आरोपित तथ्यों की प्रकृति पर निर्भर करता है। आपराधिक अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद हैं या नहीं, इसका निर्णय उच्च न्यायालय को करना होता है। सिविल लेन-देन का खुलासा करने वाली शिकायत में आपराधिक स्वरूप भी हो सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय को यह देखना चाहिए कि क्या कोई विवाद जो अनिवार्य रूप से सिविल प्रकृति का है, उसे आपराधिक अपराध का आवरण दिया गया है। ऐसी स्थिति में, यदि कोई सिविल उपाय उपलब्ध है और वास्तव में अपनाया गया है, जैसा कि इस मामले में हुआ है, तो उच्च न्यायालय को न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में संकोच नहीं करना चाहिए।"

7. **वेसा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य** में, यह माना गया कि: -

"13. यह सच है कि तथ्यों का एक दिया गया समूह सिविल गलत को आपराधिक अपराध के रूप में भी स्थापित कर सकता है और केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता के पास सिविल उपाय उपलब्ध है, यह अपने आप में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। असली परीक्षा यह है कि शिकायत में लगाए गए आरोप धोखाधड़ी के आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं या नहीं। वर्तमान मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि

शुरू से ही आरोपी व्यक्तियों की ओर से धोखाधड़ी करने का कोई इरादा था, जो कि धारा 420 भा.दं.सं. के तहत अपराध के लिए एक शर्त है। हमारे विचार में शिकायत में किसी भी तरह के आपराधिक अपराध का खुलासा नहीं किया गया है। आपराधिक कार्यवाही को तब प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए जब यह दुर्भावनापूर्ण या अन्यथा अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग पाया जाता है। उच्च न्यायालयों को इस शक्ति का प्रयोग करते समय न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करने का भी प्रयास करना चाहिए। इन तथ्यों के मद्देनजर हमारी राय में पुलिस जांच जारी रखने की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से इनकार करके गलती की है।"

8. कपिल अग्रवाल और अन्य बनाम संजय शर्मा और अन्य में, इस न्यायालय ने माना कि धारा 482 को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है कि आपराधिक कार्यवाही को उत्पीड़न के हथियार बनने की अनुमति न दी जाए।

10. नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कानून के निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए:-

"57. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों से, **ख्वाजा नजीर अहमद (उपरोक्त)** के मामले में प्रिवी काउंसिल के निर्णय से, कानून के निम्नलिखित सिद्धांत उभर कर सामने आते हैं:

i) पुलिस के पास दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XIV में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के तहत संज्ञेय अपराधों की जांच करने का वैधानिक अधिकार और कर्तव्य है,

ii) न्यायालय संज्ञेय अपराधों की किसी भी जांच को विफल नहीं करेंगे;

iii) हालांकि, ऐसे मामलों में जहां कोई संज्ञेय अपराध या किसी भी प्रकार का अपराध प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रकट किया गया है, न्यायालय जांच जारी रखने की अनुमति नहीं देगा;

iv) 'दुर्लभतम मामलों' में रद्द करने की शक्ति का प्रयोग सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। (दं.प्र.सं. की धारा

482 के तहत निरस्तीकरण के लिए निर्धारित दुर्लभतम मामलों को मृत्युदंड के संदर्भ में बनाए गए मानदंड से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पहले स्पष्ट किया गया है);

v) किसी एफआईआर/शिकायत की जांच करते समय, जिसे निरस्त करने की मांग की जाती है, न्यायालय एफआईआर/शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के बारे में जांच नहीं कर सकता है

vi) आपराधिक कार्यवाही को प्रारंभिक चरण में नहीं रोका जाना चाहिए;

vii) किसी शिकायत/एफआईआर को निरस्त करना एक अपवाद और सामान्य नियम की तुलना में दुर्लभ होना चाहिए;

viii) आमतौर पर, न्यायालयों को पुलिस के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोक दिया जाता है, क्योंकि राज्य के दो अंग गतिविधियों के दो विशिष्ट क्षेत्रों में काम करते हैं। हालांकि, धारा 482 दं.प्र.सं. द्वारा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने या उपरोक्त प्रक्रिया को रोकने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को मान्यता दी गई है।

ix) न्यायपालिका और पुलिस के कार्य पूरक हैं, ओवरलैपिंग नहीं;

x) अपवादात्मक मामलों को छोड़कर जहां हस्तक्षेप न करने से न्याय की विफलता हो सकती है, न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया को अपराधों की जांच के चरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए;

xi) न्यायालय की असाधारण और अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी मर्जी या सनक के अनुसार कार्य करने का मनमाना अधिकार क्षेत्र नहीं देती हैं;

xii) प्रथम सूचना रिपोर्ट एक विश्वकोश नहीं है जिसमें रिपोर्ट किए गए अपराध से संबंधित सभी तथ्यों और विवरणों का खुलासा किया जाना चाहिए। इसलिए, जब पुलिस द्वारा जांच

चल रही हो, तो न्यायालय को एफआईआर में आरोपों के गुण-दोष में नहीं जाना चाहिए। पुलिस को जांच पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। खतरनाक तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि शिकायत/एफआईआर जांच के लायक नहीं है या यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। जांच के दौरान या बाद में, यदि जांच अधिकारी को पता चलता है कि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए आवेदन में कोई तथ्य नहीं है, तो जांच अधिकारी विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष एक उचित रिपोर्ट/सारांश दाखिल कर सकता है, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट ज्ञात प्रक्रिया के अनुसार विचार कर सकते हैं:

xiii) धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत शक्ति बहुत व्यापक है, लेकिन व्यापक शक्ति प्रदान करने के लिए अदालत को सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह न्यायालय पर एक कठिन और अधिक परिश्रमी कर्तव्य डालता है:

xiv) हालांकि, साथ ही, यदि न्यायालय उचित समझे, तो उसे निरस्तीकरण के मापदंडों और कानून द्वारा लगाए गए आत्म-संयम, विशेष रूप से आर.पी. कपूर (उपरोक्त) और भजन लाल (उपरोक्त) के मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए एफआईआर/शिकायत को निरस्त करने का अधिकार है; और

xv) जब कथित अभियुक्त द्वारा एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना की जाती है, तो न्यायालय को धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय केवल इस बात पर विचार करना होता है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हैं या नहीं और उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है कि आरोप संज्ञेय अपराध बनाते हैं या नहीं और न्यायालय को जांच एजेंसी/पुलिस को एफआईआर में लगाए गए आरोपों की जांच करने की अनुमति देनी होती है।"

26. अंत में, **आर. कल्याणी मामले (उपरोक्त)** के पैराग्राफ '41' में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो माना है, उसे तत्काल संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:

> "41. यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कंपनी के कृत्यों के लिए अलग-अलग उत्तरदायी होने के रूप में कार्यवाही की जानी है, तो कंपनी को आरोपी बनाया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, ऐसा करना उचित होगा, क्योंकि कंपनी और कंपनी के कृत्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति दोनों के खिलाफ कानूनी कल्पना की गई है।"

27. उपर्युक्त कानूनी चर्चाओं से यह पता चलता है कि धोखाधड़ी के लिए अपराध स्थापित करने के लिए तीन आवश्यक कानूनी घटकों की आवश्यकता होती है, जो हैं (i) प्रलोभन होना चाहिए; (ii) प्रलोभन के परिणामस्वरूप वादा किया जाना चाहिए; (iii) इस वादे के परिणामस्वरूप संपत्ति की डिलीवरी होनी चाहिए; और (iv) वादा करते समय वादा करने वाले का बेईमान और धोखाधड़ी वाला इरादा होना चाहिए।

28. दिए गए तथ्यों के आधार पर, प्रलोभन, वादा और बेईमान इरादे के तत्व जो भा.दं.सं. की धारा 420 के तहत दंडनीय धोखाधड़ी के अपराध को आकर्षित करने के लिए अनिवार्य हैं, वे पुख्ता नहीं लग रहे हैं।

29. विपक्षी पक्ष संख्या 2 के लिए उपस्थित विद्वान वकील की दलीलों और उनके जवाबी हलफनामे की सामग्री से, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता की ओर से बेईमानी से किया गया इरादा या प्रलोभन है। दोनों पक्ष इस मामले को दर्ज करने से पहले एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हैं क्योंकि वे व्यापारिक साझेदार हैं। बेशक, ओ.पी. नंबर 2 के पति की वित्तीय कठिनाई से मृत्यु के कारण, भुगतान समय पर नहीं किया गया था। ओ.पी. नंबर 2 ने ऐसे सभी मुद्दों को RERA के समक्ष उठाया और मामला RERA द्वारा पारित दिनांक 06.05.2024 को खारिज किए गए आदेश के

खिलाफ रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन है, जहां ओ.पी. नंबर 2 ने अपना मामला खो दिया।

30. प्रस्तुतीकरण का सार और सार यह सुझाव देता है कि पक्षों के बीच विवाद संविदात्मक दायित्व के कारण सिविल प्रकृति का है, जहां सिविल पक्ष के पास उपाय उपलब्ध है, जिसका विपक्षी पक्ष संख्या 2 पहले से ही पूर्वोक्त रूप से लाभ उठा रहा है। आरोपित आदेश से यह स्पष्ट है कि केवल इस याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञान लिया गया था, उस कंपनी के खिलाफ नहीं जिसे भुगतान किया गया था। **प्रियंका श्रीवास्तव** के मामले **(उपरोक्त)** के मद्देनजर विद्वान मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए विवाद में शिकायत हलफनामे द्वारा समर्थित नहीं दिखती है।

31. ऐसे सभी तथ्यों के मद्देनजर, विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष वर्तमान आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानून की अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जहां प्रथम दृष्टया सिविल विवाद को आपराधिक मामले का रंग दिया गया था। अतः शिकायत वाद संख्या 4049(सी) वर्ष 2023 के संबंध में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पटना द्वारा पारित दिनांक 31.08.2023 के आक्षेपित आदेश को याचिकाकर्ता के संबंध में सभी परिणामी आदेशों के साथ निरस्त/अपास्त किया जाता है।

32. तदनुसार, यह याचिका स्वीकार की जाती है।

33. निर्णय को बंद करने से पहले, याचिकाकर्ता की वचनबद्धता के मद्देनजर, जो याचिका का ही हिस्सा है और जिसे उसके हलफनामे के माध्यम से समर्थित किया गया है, यह स्पष्ट किया जाता है और निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा विपक्षी पक्षकार संख्या 2 और उसके पति (अब मर चुके हैं) से प्राप्त की गई कुल राशि 53,41,000/- रुपये है, जो वर्तमान शिकायत दर्ज करने की तिथि अर्थात 25.04.2023

से 5% प्रति वर्ष ब्याज के साथ, ओ.पी. संख्या 2 द्वारा उठाई गई मांग की तिथि से चार सप्ताह के भीतर विपक्षी पक्षकार संख्या 2 को वापस कर दी जाएगी।

34. विपक्षी पक्षकार संख्या 2 को पूर्वोक्त निर्धारित समय अवधि के भीतर उक्त राशि का भुगतान न करने की स्थिति में, याचिकाकर्ता वर्तमान शिकायत दर्ज करने की तिथि से 53,41,000/- रुपये की पूर्वोक्त राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

राजीव/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।